न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / 2025	30.01.2025	27..02.2026

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामदेव आत्मज लच्छीराम जाति मेघवाल निवासी जाखडोन तहसील दीगोद हाल निवास बृजराज कॉलोनी नयापुरा कोटा।

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से –श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 नया 285 पुराना 270 पर निम्न खसरा नम्बरान की कुल 4 किता रकबा 2.73 हैक्टर भूमि वादी एवम अन्य सहखातेदारान के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी 1/9 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी पेश है।

खसरा नम्बर 900 रकबा 0.82 हैक्टर
खसरा नम्बर 900 रकबा 0.82 हैक्टर
खसरा नम्बर 900 रकबा 0.82 हैक्टर
खसरा नम्बर 900 रकबा 0.82 हैक्टर
कुल 4 किता रकबा 2.73 हैक्टर

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम लच्छीराम के स्थान पर सहवन से लक्ष्मण घर का बोलता नाम दर्ज हो गया है। तथा जाति मेघवाल के स्थान पर चमार दर्ज हो गया है। जब कि वादी के पिता का नाम लच्छीराम है। तथा एक अन्य जमाबन्दी ग्राम आटोन की खाता सं0 89 पर वादी के पिता का नाम लच्छीराम दर्ज है तथा जाति मेघवाल दर्ज है। यह कि वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज में वादी के पिता का नाम लच्छीराम दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण गलत दर्ज होने के कारण वादी को काफी परेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लच्छीराम व जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने पिता व जाति के नाम को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 31.12.2024 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना

आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी के पिता का नाम गलत दर्ज करने पर, तथा दिनांक 31.12.2024 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम व जाति दुरूस्त नहीं करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है। धारा 80 (2) जा0 दी. का आवेदन पत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 900 की 0–82 हेक्टर, खसरा नम्बर 904 की 1–54 हेक्टर खसरा नम्बर 905 की 0–15 हेक्टर, खसरा नम्बर 907 की 0–22 हेक्टर कुल 4 किता की 2–73 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लच्छीराम व जाति चमार के स्थान मेघवाल दर्ज किए जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी ग्राम जाखडोन्द सवंत् 2075–2078

2– नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन सवंत् 2074–2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब अनुसार सेटलमेंट जमाबन्दी 2043–62 ग्राम जाखडौद के खाता सं0 39 के खसरा नं0 किता 4 रकबा 2.73 है0 भूमि वादी के पिता लक्ष्मण पुत्र उदा व काल्या पुत्र शंकर व काल्या पुत्र धन्ना कौम चमार सा देह दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी के खाता सं0 285 में खसरा नं0 किता 4 रकबा 2.73 है0 भूमि वादी रामदेव पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/9 जाति चमार सा देह खातेदार सामलाती में दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट जमाबन्दी 2043–62 में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र उदा कौम चमार दर्ज है। ग्राम आटोन की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता सं0 89 किता 2 रकबा 1.15 है0 भूमि में नामा0 सं0 507 से निर्णय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर के अनुसार मंगला पुत्र माधो जाति बलाई हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादी रामदेव पुत्र लच्छीराम जाति मेघवाल नि0 बृजराम कॉलोनी कोटा हिस्सा 1/2 दर्ज हुए। प्रकरण में जवाब सहमति पूरक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण साक्ष्य ली गयी। वादी साक्ष्य में PW-1 रामदेव आात्मज लच्छीराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाता है। प्ररकण को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड वादी के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 900 की 0–82 हेक्टर, खसरा नम्बर 904 की 1–54 हेक्टर खसरा नम्बर 905 की 0–15 हेक्टर, खसरा नम्बर 907 की 0–22 हेक्टर कुल 4

किता की 2–73 हेक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/9 स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण उर्फ लच्छीराम एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम विवादित आराजी में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण उर्फ लच्छीराम एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक२७.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा। (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामदेव आत्मज लच्छीराम जाति मेघवाल निवासी जाखडोन तहसील दीगोद हाल निवास बृजराज कॉलोनी नयापुरा कोटा।

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से –श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 26 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –वादी का वात्र पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 900 की 0–82 हेक्टर, खसरा नम्बर 904 की 1–54 हेक्टर खसरा नम्बर 905 की 0–15 हेक्टर, खसरा नम्बर 907 की 0–22 हेक्टर कुल 4 किता की 2–73 हेक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/9 स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण उर्फ लच्छीराम एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक २५.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

[illegible] खसरा नम्बर 907 की 0–22
[illegible] हेक्टर खसरा नम्बर 905 की 0–15 हेक्टर, खसरा नम्बर 907 की 0–22
[illegible] भूमि में वादी का हिस्सा 1/9 स्थित है। उक्त आराजी
[illegible] हेक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/9 स्थित है। उक्त आराजी

[illegible] के स्थान पर लक्ष्मण उर्फ लच्छीराम एवं जाति चमार के [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश [illegible] एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

[illegible] है।

[illegible] आज दिनांक [illegible].02.2026 को जारी किया गया।

		रुपये	पैसे
	स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	स्टाम्प अर्जी	0	0
[illegible]	स्टाम्प अर्जी	0	0
[illegible]	महन्ताना वकील	0	0
[illegible]	खर्चा गवाहान	0	0
[illegible]	[illegible] इजराय	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0